**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 14**

**सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)**

**प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना**

*14. **श्री ज्ञानेश्वर पाटील:**
**श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत मध्य प्रदेश, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) तथा दादरा और नगर हवेली में कितने लाभार्थी नामांकित किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना के तहत श्रमिकों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं और क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में उक्त योजना के तहत कुल कितनी राशि आवंटित और उपयोगी की गई;

(घ) उक्त योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की मासिक राशि कितनी है;

(ड.) क्या पेंशन वितरण में विलंब या इसके तहत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में प्रशासनिक बाधाओं से संबंधित कोई चुनौतियां सामने आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इसके लिए सुलभ पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

**"प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना" के संबंध में श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (च): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के वे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार स्वयं www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी नामांकन कर सकते हैं।

दिनांक 28.01.2025 की स्थिति अनुसार, मध्य प्रदेश, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) और दादरा और नगर हवेली में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 182924, 16525 और 813 है।

विगत तीन वर्षों में (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली सहित) इस योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:-

| वर्ष | संशोधित अनुमान (रुपए करोड़ में) | व्यय (रुपए करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 350 | 324.23 |
| 2022-23 | 350 | 269.91 |
| 2023-24 | 205 | 162.51 |

चूंकि, लाभार्थियों को पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होगी, अत: पेंशन का वितरण 2039 से शुरू होगा।

पीएम-एसवाईएम योजना में पंजीकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने और आसान पहुंच के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।

(ii) राज्य कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) प्रमुखों के साथ नियमित बैठक।

(iii) स्वैच्छिक निकास, रीवाइवल मॉड्यूल, क्लेम स्टेटस और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं का शुभारंभ।

(iv) निष्क्रिय खातों के रीवाइवल की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की गई।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का पारस्परिक एकीकरण।

(vi) जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजना।

(viii) पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा नामांकन बढ़ाने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल का शुभारंभ।

(ix) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के साथ बातचीत।

*****